न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 47 / 2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. छीतरलाल पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सीमल्या तह0 मांगरोल जिला बारां
2. भूरीबाई पुत्री नूर मोहम्मद पत्नि चंदा जाति मुसलमान निवासी सीमल्या हाल मुकाम पीपल्दा जिला कोटा
3. रहमत बाई पुत्री नूर मोहम्मद पत्नि रमजानी जाति मुसलमान निवासी सीमल्या हाल मुकाम आडपुरा बारां
4. नटी बाई पुत्री नूर मोहम्मद पत्नि जुम्मा जाति मुसलमान निवासी सीमल्या हाल मुकाम गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. छोटा बाई पुत्री नूर मोहम्मद पत्नि बाबू जाति मुसलमान निवासी सीमल्या हाल मुकाम रानी बडौद तह0 किशनगंज जिला बारां
6. अनार बाई पत्नि अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किशनगंज तह0 किशनगंज

.....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. मांगीलाल
2. मुन्ना
3. कजरू
4. निजाम

पुत्रान रसूल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सीमल्या तह0 मांगरोल

5. हमीदा पुत्री रसूल मोहम्मद पत्नि मकसूद जाति मुसलमान निवासी सीमल्या हाल मुकाम सीसवाली तह0 मांगरोल
6. रसीदा पुत्री रसूल मोहम्मद पत्नि सलीम जाति मुसलमान निवासी मोर्या तह0 दीगोद
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गतधारा 88, 89, 90, 53 आर0टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री सुनील कुमार गौड

वादीगण 1 ता 4 : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

निर्णय दिनांक : 17.05.2018

दिनांक: 11.03.2013

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माल सीमल्या में कृषि भूमि खाता संख्या 199 की आराजी खसरा नं0 324 रकबा 1.72 है0 स्थित है। जो वर्तमान में पीर जी के नीम खाते दर्ज है। सम्वत 2014 से 2023 में खातेदार व उपभोक्त माफी पीरजी के साथ वादीगण क्रमशः 1 ता 6 प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 के पिता नूर मोहम्मद रसूल मोहम्मद पुत्रान घांसी शाह का नाम दर्ज है। तथा कृषक के स्थान पर थी नूर मोहम्मद रसूल मोहम्मद पुत्रान घांसी शाह मुसम्मात हलीमा बेवा घांसी शाह कोम फकीर सा0 सीमल्या के नाम दर्ज है जिसका खसरा नं0 59 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा तथा सम्वत 2031 से 34 में भी उक्त आराजी में वादीगण के पिता का नाम दर्ज है। वाद ग्रस्त आराजियात पर 65 से 70 सालो से अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादीगण के पूर्वज खातेदार एवं कृषक राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। तथा वर्तमान में वादीगणके कब्जे काश्त में चली आ रही है इसलिए वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेशो की गलत व्याख्या करके वाद ग्रस्त आराजी पर नामान्तकरण संख्या 204 से वादीगण के पिता के स्थान पर पीर जी दर्ज कर दिया है। अतः वादीग्रस्त आराजी मे वर्णित खाता संख्या 199 की आराजी खसरा नं0 324 रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम सीमल्या की आराजी में वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित की जाकर वादीगण के खाते कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.03.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लिहाज हुसैन अंसारी ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लिहाज हुसेन अंसारी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जो कि निम्न प्रकार हैः—

1. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
2. वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।
3. वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है।
4. वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है।
5. वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है।
6. वाद पत्र की मद नं0 6 स्वीकार है।
7. वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार है।

8. वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है।
9. वाद पत्र की मद नं0 9 स्वीकार है।
10. वाद पत्र की मद नं0 10 स्वीकार है।
11. वाद पत्र की मद नं0 11 स्वीकार है।
12. वाद पत्र की मद नं0 12 कानूनी है।

एवं निवेदन किया कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार है। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है के द्वारा दिनांक 17.05.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो कि निम्नानुसार है:–

01. बिन्दू सं0 1 रेकार्डेड है आंशिक स्वीकार है। विवादित आराजी दर्शाना अस्वीकार है।
02. बिन्दु नं0 2 रेकार्डेड है जो स्वीकार है।
03. बिन्दु नं0 3 अस्वीकार है। विस्तार से विशेष आपत्ति में निवेदन किया है।
04. बिन्दु नं0 4 रेकार्डेड है, जो आंशिक स्वीकार है। वादी/प्रतिवादी का खाते दर्ज करने का अधिकारी होना अस्वीकार है।
05. बिन्दु नं0 5 अस्वीकार है।
06. बिन्दु नं0 6 अस्वीकार है।
07. बिन्दु नं0 7 स्वीकार है।
08. बिन्दु नं0 8 अस्वीकार है।
09. बिन्दु नं0 9, 10, 11 कानूनी है।
10. बिन्दु नं0 12 अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां:–

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अनुसार माफी मूर्ति–मंदिर माफी मस्जिद माफी पीरजी आदि की भूमियां तदनुसार देवता/मस्जिद/दरगाह/मजार की ही स्थाई सम्पति मानी है। उक्त सभी माफियात भूमियां धार्मिक स्थलो की पुण्यार्थ मानी है एवं इन सभी स्थलो को नाबालिग मानते हुए इनके हंक–हकूको की सुरक्षा का जिम्मा संबंधित पुजारियों/सेवादारो का माना गया है साथ ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं राज्य सरकार के यह स्पष्ट निर्देश है कि उक्त माफी मंदिर/मस्जिद/दरगाहों की भूमि का टाइटल उक्त धार्मिक स्थलों के नाम ही रहेगा। न कि पुजारी/सेवक/खादिम आदि के नाम रहेगा। साथ ही राज्य सरकार उक्त धार्मिक स्थलो के नाम /टाईटल भूमि के हको की भली प्रकार रक्षा हेतु राजस्व विभाग उत्तरदायी होगी। अर्थात उक्त धार्मिक स्थलो के नाम की माफी भूमि पर किसी भी पुजारी/सेवादार के नाम टाइटल किसी भी सूरत में यहां तक की एडवर्स पजेशन की सूरत में भी नही किया जावेगा।

संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः विस्तृत जवाब प्रतिवादी संख्या 7 प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से आराजी खसरा नं0 115 रकबा 0.50 है0 खसरा नं0 116 रकबा 1.30 है0 ग्राम कराडिया तहसील मांगरोल में वादीगण/प्रतिवादीगण दोनो के नाम ही टाइटल नही

नुसार वर्तमान जमाबंदी ग्राम कराडिया सम्वत 2065–68 पीरजी खातेदार के नाम इन्द्राज यथावत होना उचित होगा।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुचा है कि ग्राम सीमल्या में स्थित खाता संख्या 199 की आराजी खसरा नं0 324 रकबा 1.72 है0 पीर जी के नीम खाते दर्ज है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अनुसार माफी मूर्ति–मंदिर माफी मस्जिद माफी पीरजी आदि की भूमियां तदनुसार देवता/मस्जिद/दरगाह/मजार की ही स्थाई सम्पति मानी है। उक्त सभी माफियात भूमियां धार्मिक स्थलो की पुण्यार्थ मानी है एवं इन सभी स्थलो को नाबालिग मानते हुए इनके हंक–हकूको की सुरक्षा का जिम्मा संबंधित पुजारियों/सेवादारो का माना गया है साथ ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर एवं राज्य सरकार के यह स्पष्ट निर्देश है कि उक्त माफी मंदिर/मस्जिद/दरगाहों की भूमि का टाइटल उक्त धार्मिक स्थलों के नाम ही रहेगा। न कि पुजारी/सेवक/खादिम आदि के नाम रहेगा। उक्त धार्मिक स्थलो के नाम की माफी भूमि पर किसी भी पुजारी/सेवादार के नाम टाइटल किसी भी सूरत में यहां तक की एडवर्स पजेशन की सूरत में भी नही किया जावेंगा। अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प जलोदा तेजाजी मजमेंआम में सुनाया गया।